

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 69

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 542 थाना- 1402 खाता संख्या- 2 प्लॉट संख्या- 215/4
रकबा- 2.00 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 58/11 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपशान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- सुकेन्द्र यादव, 3/10 सखेतिया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
हुमरी	402	2	215	2.00
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं०- 58/4 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2002-3
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जयसूरज प्रसाद
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- 3/10 सखेतिया
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :- नहीं
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - वन्दोबस्ती हुकुमनामा 23/02-03)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	4963830	31.5-2012	2012-13

23/10/16
हुमरी
सुकेन्द्र यादव
3/10 सखेतिया

आदेश
कारवाई के
विषयों, तारीख
महिन

अभिप्रेत प्रस्तावित यह मामला कि 2016
के संबंधित है, अग्रणी प्रस्ताव मसौदा की बैठक में
विवादित किया गया है कि पुनः विस्तार अन्य इस
कारणों को। उपर्युक्त सभी मामलों पर निरीक्षण
को जोड़ा दिया जाता है कि आपके हाथ के संबंधित
संबंधित प्रमाणों के संबंध में विस्तार अन्य निरीक्षण
समाप्त हो कि मामला संवत्सरा प्रमाणों का वक्ता
है अथवा नहीं?

अग्रणी अधिकारी
विस्तार प्रमाण
महिन

21.03.2022

अभिप्रेत प्रस्तावित यह सं. 11 के मातृ प्र
निरीक्षण के मातृ अन्य निरीक्षण दिया गया है जो
साथ में संलग्न है इसके मातृ निरीक्षणित दिया गया
है कि वादगान मुक्ति के संबंधित प्रमाणों नद करने
का मामला प्रमाणों प्रमाणों के निरीक्षण नद सं. 13/2021-22
संबंधित प्रमाणों का प्रमाणों संबंधित प्रमाणों का प्रमाणों
के मामला यह वक्ता है कि इस संबंध में इस प्रमाणों
मातृ अन्य निरीक्षण प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों

आतः मातृ प्र निरीक्षण के अन्य
निरीक्षण के नद है कि मामला प्रमाणों प्रमाणों
में संबंधित है इस प्रमाणों के इस प्रमाणों की प्रमाणों
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों

अग्रणी अधिकारी
महिन

अग्रणी अधिकारी
विस्तार प्रमाण
महिन

सेवा में

श्रीमान् अंचल अधिकारी
मन्पाटू, पलामू

विषय :- अवैध जमाबंदी अभिलेख संख्या: 57/16-17 से
अभिलेख सं० 64/16-17 का जांच प्रतिवेदन।

महोदय,

आदेशानुसार उपरोक्त अवैध जमाबंदी से संबंधित
मामलों का जांच किया। उपरोक्त सभी मामलों से संबंधित
विविध-वाद सं० :- 13/2021-22 न्यायालय में उपस्थित पलामू
में यहाँ मामला चल रहा है। उक्त विविध-वाद में अंचल
स्तर से जांच प्रतिवेदन भी भेजा गया है।

अतः अब वरीय न्यायालय में यही मामला चल
रहा है तो अंचल स्तर पर इस वाद की सुनवाई समाप्त
की जा सकती है।

प्रतिवेदन अग्रेजर करवाई हेतु सादर समर्पित।

Shunad
16/03/2022
राष्ट्रपति
दली. श्री